



2026:AHC-LKO:7402-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 68/2026

युवराज सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – ज्ञान चन्द्र दुबे, दिलीप कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञान चंद्र दुबे, प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि मानचित्र में गाटा संख्या 363 से होकर गुजरने वाला एक 'चकमार्ग' दर्शाया गया है, लेकिन मौके पर ऐसा कोई चकमार्ग नहीं है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि 'चकमार्ग' पर एक 'खड्जा' का निर्माण किया जाए।
3. याचिकाकर्ता इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित उपजिलाधिकारी से आवेदन करें, जो इस बात की जांच करवाएगा कि क्या राजस्व मानचित्र और अभिलेखों में याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार कोई चकमार्ग दर्शाया गया है, यदि हां, तो क्या वह मौके पर उपस्थित है या नहीं। यदि नहीं, तो चकमार्ग का सीमांकन करना होगा, उसके बाद ही उस पर चकमार्ग या खड्जा का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन उपजिलाधिकारी या तहसीलदार, जैसा भी मामला हो, को नियमों के अनुसार निर्माण के प्रयोजन से चकमार्ग का सीमांकन करना होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपजिलाधिकारी और इस मामले से संबंधित अन्य सभी अधिकारियों को इस मामले की जांच करें और विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई तत्परतापूर्वक करें।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने याचिकाकर्ता द्वारा राजस्व मानचित्र या मौके पर चकमार्ग के अस्तित्व के संबंध में उठाए गए दावे पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
6. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

पीयूष

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)